अध्याय 1 प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बंध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार के सिविल एवं निर्माण विभागों के लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उठाये गये प्रकरणों, केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित और राज्य सरकार की आयोजनागत परियोजनाओं और राज्य के स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा, जिसमें चयनित योजनाओं और विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्मिलित है, से सम्बंधित है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के स्तर भौतिकत्व रूप से समानुपातिक भार और लेनदेनों के परिणाम की प्रगति पर आधारित हो। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखापरीक्षा परिणाम कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु नीति निर्धारण एवं दिशा–निर्देशों में सहायक होगी जोकि एक अच्छे शासन व्यवस्था में सहयोग करती है।

अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत लेखापरीक्षित इकाई के लेनदेनों, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जांच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि भारत के संविधान, विधि, नियम और नियमन के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों और दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र अनुमान अथवा जांच है जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता के साथ संस्थाओं, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया गया है।

इस अध्याय में लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा, लेखापरीक्षा की योजना एवं सीमा का उल्लेख किया गया है जबकि **अध्याय 2** में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा **अध्याय 3** में सरकार के विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है। **अध्याय 4** में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के परिणाम दिये गये है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय स्तर पर 65 विभाग हैं जो कि मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों/सचिवों के आधीन हैं जिनकी सहायता हेतु विशेष सचिव, उप सचिव और निदेशक तथा उनके अंतर्गत अधीनस्थ अधिकारी कार्यरत हैं एवं 27 स्वायत्त निकाय है जो प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा परिधि में आते है।

राज्य सरकार के वर्ष 2010–11 की अवधि के व्ययों के साथ–साथ विगत दो वर्षों के व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **सारणी 1.1** में दिया गया है।

सारणी 1.1 : वर्ष 2008–11 में व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09			2009-10			2010-11		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवाएं	211.94	29,557.38	29,769.32	824.29	39,817.01	40,641.30	987.34	47,031.83	48,019.17
सामाजिक सेवाएं	11,584.22	16,961.79	28,546.01	10,998.49	21,065.79	32,064.28	15,829.56	23,737.14	39,566.70
आर्थिक सेवाएं	5495.18	8654.17	14,149.35	3,878.40	9,429.60	13,308.00	4,222.63	11,502.40	15,725.03
सहायक अनुदान	-	3,504.21	3504.21	-	3,360.03	3,360.03	...	4,364.71	4,364.71
योग (1)	**17,291.34**	**58,677.55**	**75,968.89**	**15,701.18**	**73,672.43**	**89,373.61**	**21,039.53**	**86,636.08**	**1,07,675.61**
पूंजीगत व्यय									
पूंजीगत परिव्यय **(2)**	**18,087.49**	**4,258.23**	**22,345.72**	**19,224.48**	**5,866.75**	**25,091.23**	**19,581.08**	**691.72**	**20,272.80**
ऋण एवं अग्रिम भुगतान **(3)**	**390.33**	**416.68**	**807.01**	**209.23**	**732.62**	**941.85**	**617.28**	**350.94**	**968.22**
लोक ऋणों का भुगतान (4)	**---**	**6,776.49**	**6,776.49**	**---**	**7,668.59**	**7,668.59**	**---**	**7,383.08**	**7,383.08**
समेकित निधि से किया गया कुल भुगतान (1+2+3+4)	**35,769.16**	**70,128.95**	**1,05,898.11**	**35,134.89**	**87,940.39**	**1,23,075.28**	**41,237.89**	**95,061.82**	**1,36,299.71**
आकस्मिकता निधि	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**39.90**	**39.90**
लोक लेखा संवितरण	**---**	**1,00,026.64**	**1,00,026.64**	**---**	**1,01,780.30**	**1,01,780.30**	**---**	**1,17,472.99**	**1,17,472.99**
योग	**35,769.16**	**1,70,155.59**	**2,05,924.75**	**35,134.89**	**1,89,720.69**	**2,24,855.58**	**41,237.89**	**2,12,574.71**	**2,53,812.60**

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में लेखापरीक्षा का प्राधिकार निहित है। प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत सिविल और निर्माण विभागों एवं स्वायत्त निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा की गयी। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और कियाविधि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत मैनुअलों में वर्णित है।

1.4 प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के सिविल एवं निर्माण विभागों (प्रत्येक के लिए दो ग्रुपों के माध्यम से) तथा स्वायत्त निकायों एवं वन विभाग (प्रत्येक के लिए एक ग्रुप के माध्यम से) लेखापरीक्षा सम्पन्न की जाती है। वर्ष 2010–11 की अवधि में 71 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सिविल और निर्माण विभागों स्वायत्त निकायों, वाह्य सहायतित परियोजनाओं आदि के चयनित इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों/योजनाओं/परियोजनाओं आदि में निहित जोखिम अनुमानों से प्रारम्भ होती है

जोकि उनके व्ययों, क्रियाकलापों की जटिलताओं, वित्तीय अधिकारों की सीमा, आन्तरिक नियंत्रण की प्रणाली तथा सम्बंधित लोगों की प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में पूर्व लेखापरीक्षा के परिणामों पर भी विचार किया जाता है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति पर निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें लेखापरीक्षा के परिणाम निहित रहते हैं, लेखापरीक्षित इकाई/विभाग के प्रमुखों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखापरीक्षा के परिणामों का उत्तर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्ति के एक माह के अंदर प्रेषित करें। उत्तर प्राप्ति पर या तो लेखापरीक्षा के परिणामों को निस्तारित कर दिया जाता है अथवा पुनः अनुपालन की कार्यवाही का सुझाव दिया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दुओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रक्रिया अपनायी जाती है।

वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न विभागों/संस्थाओं की 6,940 इकाइयों के विरूद्ध 2,378 इकाइयों की लेखापरीक्षा, 16,612 दल–दिवसों का उपयोग करके किया गया। आडिट प्लान में उन इकाइयों का आच्छादन किया गया जोकि जोखिम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गयी थी।

1.6 निष्पादन लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

निष्पादन लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि सरकार की योजनाओं के वांछित उद्देश्य न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त कर लिये गये हैं तथा इच्छित लाभ लोगों तक पहुंच गये है।

इस प्रतिवेदन में राजकीय नलकूपों के निर्माण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण'' की निष्पादन लेखापरीक्षा, सिंचाई विभाग में कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली लागू करने की तैयारी पर सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, जनपद गाजीपुर एवं गौतमबुद्ध नगर जनपदों के शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं एवं अध्यापन सहायता की वस्तुस्थिति एवं गाजीपुर एवं गौतमबुद्ध नगर जनपदों में चिकित्सा उपकरण एवं औजारों की स्थिति पर बृहद प्रस्तर सम्मिलित है। निष्पादन लेखा परीक्षा के मुख्य बिन्दु, नीचे वर्णित हैः–

1.6.1 ''राजकीय नलकूपों के निर्माण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण'' की निष्पादन लेखापरीक्षा।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है जो कि प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या को जीवन यापन उपलब्ध कराती है। राज्य में 1.31 करोड़ हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में से नलकूपों का योगदान मात्र 0.04 करोड़ हेक्टेयर (3 प्रतिशत) है। "राजकीय नलकूपों के निर्माण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण' की निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2006–11 की अवधि को आच्छादित किया गया है, जिससे ब्याजयुक्त ऋण का परिहार्य दायित्व का सृजन उद्घटित हुआ। बिना आवश्यकता एवं शासन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये मशीनों के अधिप्राप्ति के प्रकरण भी थे। परियोजना की लाभ लागत अनुपात को जानबूझकर आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाया गया। विद्युत प्रभार के रूप में भारी दायित्व लम्बित था। अत्यधिक धनराशि के निवेश के बाद भी विभाग द्वारा कुल सृजित सिंचन क्षमता का मात्र 27 प्रतिशत ही उपयोग

किया जा सका। शासन ने विद्युत प्रभार को मीटर आधारित भुगतान जो कि विभाग के लिए हितकर होता, के स्थान पर फिक्स दर पर भुगतान का चयन किया।

1.6.2 सिंचाई विभाग में कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली लागू करने की तैयारी पर सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा।

उ0प्र0 सिंचाई विभाग में कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) अप्रैल 2001 में प्रारंभ किया जिसे 54 माह में पूर्णरूपेण क्रियान्वित किया जाना था फिर भी लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी कम्प्यूटर आधारित एम0आई0एस0 का क्रियान्वयन अपूर्ण था। प्रभावपूर्ण योजना निर्माण व वास्तविक आँकड़ों पर आधारित विश्वलेषण, वर्धित अनुश्रवण, बृहत्तर पारदर्शिता एवं संचार के उद्देश्यों की पूर्ति, विभाग द्वारा विक्रेता को वर्तमान आँकड़ों को न उपलब्ध कराने की तैयारी न होने, इन्टरनेट की अविश्वसनीय कनेक्टीविटी तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण नहीं हो सकी। 26 माड्यूल के सापेक्ष एक भी माड्यूल अभी तक उपयोग में नहीं लाये गये है। केवल मूल आँकड़ों की आंशिक रूप से प्रविष्टि हुई थी तथा वह भी अविश्वसनीय थी। विभाग आँकड़ों को किसी दुर्घटना से सुरक्षित रखने हेतु एक प्रणाली विकसित करने में भी असफल था।

1.6.3 गाजीपुर एवं गौतमबुद्ध नगर जनपदों के शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं एवं अध्यापन सहायता की वस्तुस्थिति ।

विश्वबैंक सहायतित योजना एवं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रबन्ध अधिकार को '' ग्राम शिक्षा समिति (वी ई सी)'' को सौंपे जाने हेतु '' उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद'' का गठन मई 1993 मे किया गया था। पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध न होने, अपर्याप्त मूलभूत सुविधायें जैसे–शौचालय, लडकियों के लिए अलग शौचालय, सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल, मध्यान्ह भोजन (एम डी एम), खेल का मैदान, कम्प्यूटर सुविधा, बैठने की व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफार्म, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पुस्तकालय सुविधा एवं शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति न होने से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण प्रभावित हुआ था। पर्याप्त कक्षों, उन्नत शिक्षक–छात्र अनुपात, एम डी एम तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद शासन बच्चों का विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने व बनाये रखने या ड्राप आउट रोकने में असमर्थ रहा।

1.6.4 गाजीपुर एवं गौतमबुद्ध नगर जनपदों में चिकित्सा उपकरण एवं औजारों की स्थिति।

गाजीपुर एवं गौतमबुद्ध नगर जनपदों में चिकित्सा उपकरण एवं औजारों की वर्ष 2006–11 की स्थिति का मूल्यांकन लेखा परीक्षा में किया गया था। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि बड़ी मात्रा में उपकरण या तो पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया अथवा मुख्यतः चिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण बिना उपयोग हुए पड़ा रहा। बिस्तर पर मरीजों की उपलब्धता बहुत कम थी एवं मरीज निजी निदान केन्द्रों में इलाज हेतु बाध्य थे। एम्बुलेंसों का उपयोग मरीजों को लाने एवं ले जाने में भी नहीं किया गया था। वेंटीलेटरों एवं एम्बुलेंसों पर किया व्यय भी अनुत्पादक पाया गया था।

1.6.5 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखा परीक्षा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उद्देश्य औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना है। विभाग की सीसीओ आधारित लेखा परीक्षा में पाया गया कि अपर्याप्त जनशक्ति एवं मूलभूत संरचनाओं तथा उपलब्ध निधियों के उपभोग न किए जाने के कारण व्यापक रूप से उददेश्यों की पूर्ति नहीं हुयी थी। वार्षिक कार्य योजनाएं क्षेत्र स्तर की आवश्यकताओं का आकलन किए बिना ही तैयार की गयी थी। गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्रियों एवं बीजों के उत्पादन के लिए नर्सरियों की स्थापना के गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। औद्यानिक उत्पाद के विपणन में वृद्धि के लिए आवश्यक तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली अपर्याप्त थी परिणामस्वरूप परियोजनाओं का कार्यान्वयन शिथिल था।

1.7 अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा जटिलता भरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियॉ पायी गयी जोकि राज्य सरकार के प्रभावकारिता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत 28 महत्वपूर्ण प्रस्तरों को भी प्रतिवेदित किया गया है। महत्तवपूर्ण प्रस्तर सम्बंधित है;

- नियमन और नियमों का अनुपालन न किया जाना;
- औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्ययों के प्रकरण;
- असावधानी/नियंत्रण की कमी;
- सतत और व्यापक अनियमितताएं एवं
- धोखा एवं धोखे को चिन्हित करना।

1.7.1 नियमन और नियमों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्ययों के लिए वित्तीय नियम, नियमन और आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए सहायक होता है और अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी को रोकती है। इस खण्ड में नियमों और नियमनों का अनुपालन न किये जाने से ₹ 2765.23 करोड़ के प्रकरणों को इंगित किया गया है जिनमें से कुछ प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

पूर्ण मूल्य प्राप्त किये बिना नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 501.922 एकड़ भूमि हस्तान्तरण के कारण ₹ 2,632.19 करोड़ की क्षति। ***(प्रस्तर 3.1.1)***

प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 का उल्लधंन कर छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में एक विरासत इमारत को ध्वस्त कर ₹ 28.30 करोड़ की लागत से नये भवन का निर्माण किया जाना। ***(प्रस्तर 3.1.2)***

विशिष्टियों का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप न केवल ₹ 2.50 करोड़ का अधोमानक कार्य अपितु ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण पर ₹ 2.82 करोड़ का परिहार्य व्यय किया जाना। ***(प्रस्तर 3.1.4)***

अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन करते हुए सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किए जाने से ठेकेदारों को ₹ 94.17 करोड़ की अदेय सहायता एवं ब्याज के रुप में ₹ 2.23 करोड़ का अदेय लाभ। ***(प्रस्तर 3.1.6)***

1.7.2 औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना किये गये व्ययों के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य और लोक व्ययों की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। व्यय हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी जिसे व्यय के लिए प्राधिकृत किया गया है, से यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतर्कता के साथ करें जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। लेखा परीक्षा जांच में ₹ 121.33 करोड़ के अनौचित्यपूर्ण और अधिक व्यय के प्रकरण आये थे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

लेजर लैण्ड लेवलर के उपयोग का आकलन किये बगैर क्रय किये जाने एवं उसके अप्रयुक्त पड़े रहने से उस पर किये गये व्यय ₹ 2.49 करोड़ का अलाभकारी रहना। इसके अतिरिक्त, उचित एवं न्यूनतम जल के उपयोग से कृषि क्षेत्रों को सिंचित करने के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होना । ***(प्रस्तर 3.2.1)***

आवश्यक पाठ्यक्रम लागू किये बिना खेलकूद व शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ताओं की नियुक्ति करने के परिणामतः ₹ 6.54 करोड़ का निरर्थक व्यय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य के युवाओं के भाग लेने का उद्देश्य विफल होना।

(प्रस्तर 3.2.4)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुये आवास निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल के विकास हेतु आवासों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ₹ 15.92 करोड़ मूल्य की विद्युत सामग्री की आपूर्ति का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप सामग्री का लगभग दो वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा रहना।

(प्रस्तर 3.2.5)

अमान्य दर अनुसूची के आधार पर प्राक्कलन तैयार करने की अनुमति के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को ₹ 3.48 करोड का अतिरिक्त भुगतान। ***(प्रस्तर 3.2.6)***

एलगिन चरसरी बाँध के निर्माण हेतु मूल संरेखण का पालन न करने के कारण ₹ 8.98 करोड़ का परिहार्य व्यय। ***(प्रस्तर 3.2.7)***

विद्युत वितरण प्रणाली एवं उपकेन्द्र निर्माण कार्य की पूर्णता के साथ सामंजस्य स्थापित किये बिना पम्प, विद्युत मोटरों एवं सह उपकरणों के क्रय पर ₹ 2.65 करोड़ का निवेश निष्क्रिय रहा। ***(प्रस्तर 3.2.8)***

त्रुटिपूर्ण तकनीकी स्वीकृति के अनुरुप कार्य सम्पादन के फलस्वरुप निष्फल व्यय ₹ 7.58 करोड़। ***(प्रस्तर 3.2.10)***

1.7.3 असावधानी/नियंत्रण की कमी

सरकार की यह बाध्यता है कि वह लोगों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र अवस्थापनाओं का विकास और उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार करे। लेखापरीक्षा के

संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें सरकार द्वारा लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग नही किया गया अथवा अवरूद्ध रखा गया या फिर अलाभकारी/अनुत्पादक व्यय प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा ठोस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर अभाव रहने के कारण हुई थी। लेखापरीक्षा जांच में असावधानी/नियंत्रण की कमी के ₹ 144.08 करोड़ रूपये के प्रकरण प्रकाश में आये थे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये जा रहे है।

आवासीय योजना हेतु आवंटित भूमि की कीमत 11 से 19 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी वसूल न किया जाना । ***(प्रस्तर 3.3.1)***

त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं आवासों के निर्माण के चार से आठ वर्ष के भीतर जीर्णावस्था में आने के परिणाम स्वरूप न केवल योजना विफल रही अपितु ₹ 3.79 करोड़ का व्यय भी निष्फल रहा। ***(प्रस्तर 3.3.2)***

भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 5.99 करोड़ की लागत की कैंसर युनिट का कार्यशील न होना। ***(प्रस्तर 3.3.5)***

निर्माण पर ₹ 23.22 करोड़ का निरर्थक व्यय तथा क्षतिपूर्ति की वसूली न होने के कारण ₹ 5.20 करोड़ की हानि। ***(प्रस्तर 3.3.6)***

आवश्यकता के अनुरूप भूमि अधिग्रहीत किए बिना कार्य प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप ₹ 23.18 करोड़ का निरर्थक व्यय। ***(प्रस्तर 3.3.7)***

1.7.4 सतत और व्यापक अनियमितताएं

यदि अनियमितताएं वर्ष प्रतिवर्ष होती रहती हैं तो वह सतत अनियमितता है और जब वह पूरी प्रणाली में विद्यमान हो जाती है तब वह व्यापक अनियमितताएं हैं। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर भी बार–बार अनियमितताओं का होना यह प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका की तरफ से ढिलाई बरती गयी तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी रही। यह संकलित रूप से नियमों/नियमन के पालन में इच्छापूर्वक विचलन को बढ़ावा देती है तथा परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा देखा गया गया कि:

शासनादेश का उल्लंघन कर राप्ती योजक नहर के निर्माण कार्य के निष्पादन से ₹ 2.21 करोड़ की धनराशि का अनाधिकृत एवं अलाभकारी व्यय। ***(प्रस्तर 3.4.1)***

1.7.5 धोखा एवं धोखे को चिन्हित करना।

लोक निर्माण विभाग लेखा परीक्षा में वित्तीय लेखों की नमूना जॉच की गयी और उनके क्षेत्रीय क्रियाकलापों से पता चला कि:

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (सड़क एवं सेतु) लो0नि0वि0, गोरखपुर द्वारा प्रमुख अभियंता लो0नि0वि0 के स्थानान्तरण आदेश की सत्यता का सत्यापन करने में विफलता के फलस्वरुप न केवल दो फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई अपितु वेतन के रुप में ₹ 3.73 लाख का कपटपूर्ण आहरण हुआ। ***(प्रस्तर 3.5.1)***

1.8 निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा प्रस्तरों के प्रति विभाग का रूझान

निष्पादन समीक्षाओं का मसौदा और लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के संज्ञान में लाने के लिए इस आशय के साथ अग्रसारित किया जाता है कि उक्त पर प्रतिकिया छः सप्ताह के अंदर प्रेषित कर दें। यह उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लाया जाता है कि प्रस्तरों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कर उत्तर प्रदेश विधायिका के सम्मुख रखा जायेगा तथा इस सम्बंध में वांछित है कि वे प्रकरण पर अपनी टिप्पणी भेजें। उन्हें यह भी सुझाव दिया जाता कि प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित समीक्षाओं एवं ड्राफ्ट प्रस्तरों पर प्रधान महालेखाकार से बैठक रखकर परिचर्चा करें।

तीन निष्पादन समीक्षाओं का मसौदा एवं 34 प्रस्तरों का मसौदा जिसमें दो लांग प्रस्तर शामिल है, मई से दिसम्बर 2011 में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया था। वार्ता हेतु बैठक अक्टूबर से दिसम्बर 2011 में आयोजित की गयी। सभी निष्पादन समीक्षाओं के मसौदा एवं प्रस्तरों के संबंध में उत्तर प्राप्त कर लिया गया था तथा उसे प्रतिवेदन में समुचित रूप में सम्मिलित कर लिया गया है लेकिन शासन/विभाग ने सिंचाई विभाग की सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सी0सी0ओ0 आधारित लेखापरीक्षा एवं दोनों वृहद प्रस्तरों पर विस्तृत उत्तर नहीं दिया।